न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1029 सन 2020
अनवान :–

1. सुमेरसिह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपुत साकिन थिराना हाल चरू तहसील व जिला चुरू।
2. भंवरसिह पुत्र स्व भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. उदयसिह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. देवीसिह पुत्र नानूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. अर्जुनसिह पुत्र नानूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. ओमकंवर पत्नी स्व भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. भवंरसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. रणजीतसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. बंजरगसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. कृष्णा कंवर पुत्री भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/4/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक में से 17930/35789 हिस्सा यानी 70 बीघा 17–1/2 बीघा भूमि फतेकंवर पत्नी हरीसिह के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि फतेकंवर पत्नी हरीसिह के नाम से दर्ज है फतेकवर स्वय के कोई औलाद नही थी फतेसिह की सेवा चाकरी उसके पति के भाई एवं उसके वारिसान करते थे जो रिश्ते में पौते लगते थे फतेकवर ने अपने जीवन काल में अपने नाम से दर्ज भूमि की एक वसीयत अपने पौतो के नाम से तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीब , करवाई गई थी फतेकवंर पत्नी हरीसिह का देहान्त हो चुकी है।

फतेकवंर पत्नी हरीसिह के देहान्त होने के बाद फतेकवर पत्नी हरिसिह की वसीयत के अनुसार देवीसिह भादरसिह अर्जुनसिह उदयसिह सुमेरसिह फतेकवर की भूमि के हकदार हुए और वसीयत के अनसुार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

भादरसिह पुत्र नानूसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है जो भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 जो प्रतिवादी संख्या 4 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया हुआ हे इसलिये भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 पाने के अधिकारी है ।

इसप्रकार फतेकवर पत्नी हरिसिह के देहान्त होने पर फतेसिह की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की फतकंवर पत्नी हरीसिह के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि फतेकवर पत्नी हरिसिह के नाम से दर्ज हे फतेकवर ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक भादरसिह के पक्ष में करवाई गई थी फतेकवंर पत्नी हरिसिह का देहान्त हो गया है फतेसिह की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि है तथा भादरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है अर्थात फतेकवर की वसीयत अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी संख्या 2 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक में से 17930/35789 हिस्सा यानी 70 बीधा 17–1/2 बीधा भूमि फतेकंवर पत्नी हरीसिह के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि फतेकंवर पत्नी हरीसिह के नाम से दर्ज है फतेकवर स्वय के कोई औलाद नही थी फतेसिह की सेवा चाकरी उसके पति के भाई एवं उसके वारिसान करते थे जो रिश्ते में पौते लगते थे फतेकवर ने अपने जीवन काल में अपने नाम से दर्ज भूमि की एक वसीयत अपने पौतो के नाम से तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीब , करवाई गई थी फतेकवंर पत्नी हरीसिह का देहान्त हो चुकी है।

फतेकवंर पत्नी हरीसिह के देहान्त होने के बाद फतेकवर पत्नी हरिसिह की वसीयत के अनुसार देवीसिह भादरसिह अर्जुनसिह उदयसिह सुमेरसिह फतेकवर की भूमि के हकदार हुए और वसीयत के अनसुार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

भादरसिह पुत्र नानूसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है जो भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 जो प्रतिवादी संख्या 4 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया हुआ हे इसलिये भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 पाने के अधिकारी है ।

इसप्रकार फतेकवर पत्नी हरिसिह के देहान्त होने पर फतेसिह की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक में से 17930/35789 हिस्सा यानी 70 बीधा 17–1/2 बीधा भूमि फतेकंवर पत्नी हरीसिह के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि फतेकवर पत्नी हरीसिह के नाम से दर्ज है जिसके कोई औलाद नही थी जो वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व भादरसिह के साथ रहती थी जिसने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं भादरसिह के पक्ष में करवाइ गई थी फतेकवर पत्नी हरीसिह का देहान्त हो चुका है फतेकवर पत्नी हरीसिह की वसीयत के अनसुार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं भादरसिह फतेकवर की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में वसीयत की प्रति एवं फतेकवर पत्नी हरीसिह का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनो की पुष्टी होती है।

वादी संख्या 2 ने निवेदन किया की भादरसिह पुत्र नानूसिह का देहान्त हे चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है जो भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने स्वीकार किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये भादरसिह के हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार प्रस्तृत दस्तावेजात/साक्ष्य सबुतो के अनुसार फतेकवर पत्नी हरीसिह की वसीयत के अनुसार फतेकवर के देहान्त होने पर वसीयत के अनुसार फतेकवर के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वसीयत में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक मे से मृतक फतेकवर पत्नी हरिसिह के नाम 17930/35789हिस्सा यानी 70 बीधा 17–1/2 बिश्वा भूमि दर्ज है में मृतक फतेकवर का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 27.10 बीधा , वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 21.07–1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 22 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार धोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/4/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुमेरसिह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपुत साकिन थिराना हाल चरू तहसील व जिला चुरू।
2. भंवरसिह पुत्र स्व भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. उदयसिह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. देवीसिह पुत्र नानूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. अर्जुनसिह पुत्र नानूसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. ओमकंवर पत्नी स्व भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. भवंरसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. रणजीतसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. बंजरगसिह पुत्र भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. कृष्णा कंवर पुत्री भादरसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1029 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/4/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक मे से मृतक फतेकवर पत्नी हरिसिह के नाम 17930/35789हिस्सा यानी 70 बीधा 17–1/2 बिश्वा भूमि दर्ज है में मृतक फतेकवर का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 27.10 बीधा , वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 21.07–1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 22 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार धोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner